डॉ0 आर. के. विश्वकर्मा,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 14 /2023

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः अप्रैल 14 ,2023

विषयः अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने / निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-20, पैरा-228 से लेकर पैरा-276 के अन्तर्गत अभ्यासिक एवं पेशेवर अपराधियों की वर्ग "क" एवं वर्ग "ख" की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के प्रावधान निहित है। अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्र एवं अर्द्ध शासकीय पत्रों के माध्यम से विस्तृत निर्देश पूर्व में निर्गत किये गये हैं।

1. डी0जी0परिपत्र-37/2022 दि0-03.11.2022
2. डी0जी0परिपत्र-07/2019 दि0-25.01.2019
3. अ0शा0 पत्र सं0-डीजी-आठ-140(66)2017 दि0 03.11.2017
4. अ0शा0 पत्र सं0-डीजी-आठ-140(66)2014 दि0 16.08.2014

अपराधियों के हिस्ट्रीशीट खोलने सम्बन्धी व्यवस्था पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-20 में वर्णित है, जिसके अनुसार हिस्ट्रीशीट थानों में रखे जाने वाले गोपनीय दस्तावेज ग्राम अपराध रजिस्टर का एक भाग है। पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-228 के अनुसार —

"ग्राम अपराध रजिस्टर के भाग-5 में हिस्ट्रीशीट का समावेश होगा। यह निगरानी के अधीन अपराधियों का व्यक्तिगत अभिलेख होता है। हिस्ट्री शीट केवल उन व्यक्तियों की खोली जानी चाहिये, जो अभ्यासिक अपराधी या ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों या उनका ऐसा हो जाना सम्भाव्य हो। शीट के दो वर्ग होंगे:-

1. डकैत, सेन्धमार, पशु चोर, रेलवे डिब्बों से माल के चोर, और उनके दुष्प्रेरकों के लिये वर्ग 'क' (Class-'A') हिस्ट्रीशीट।

2. उन पुष्ट और पेशेवर अपराधियों, जो डकैती, सेन्धमारी, पशु चोरी और रेलवे डिब्बों से गाल की चोरी के सिवाय अन्य अपराध करने वालों, पेशेवर छल और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा आपराधिक व्यक्तिगत नत्थियाँ बनाये रखी जाती हैं, विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे यात्री चोर, जेबकतरी विशेषज्ञ, कूट रचक, सिक्के के कूटकरणकर्ता, कोकीन और अफीम के तस्कर, विख्यात बदमाश और गुंडे, टेलीग्राफ के तार काटने वाले, आभ्यासिक निषिद्ध शराब उतारने वाले और उनके दुष्प्रेरक के लिए वर्ग- 'ख' (Class-'B') हिस्ट्रीशीट।

दोनों हिस्ट्रीशीट समान प्रारूप रखे जायेंगे। परन्तु 'ख' वर्ग के लिए, पहले पेज के शीर्ष पर लाल लाइन चिन्हित करते हुये सुभेदित किया जावेगा। वर्ग-'ख' के हिस्ट्रीशीट का वर्ग-'क' का हिस्ट्रीशीट में नहीं बदला जा सकेगा। चाहे वर्ग ख हिस्ट्रीशीट में होने वाले व्यक्ति डकैती, सेंधमारी, पशु चोरी या रेलवे माल डिब्बों से चोरी में लिप्त होते पाये जावें। वर्ग-क और वर्ग-ख दोनों के लिए निगरानी पैरा-238 के अधीन उस पर लागू हो सकेंगी। वर्ग-क के हिस्ट्रीशीट के व्यक्ति के विविध अपराधों में लिप्त हो जाने की दशा में अधीक्षक की मन्जूरी से उसकी वर्ग-क हिस्ट्रीशीट वर्ग-ख हिस्ट्रीशीट में बदली जा सकेगी।"

हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-20 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-228 में वर्णित अपराधों के इतर अपराधों का उल्लेख करते हुये अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है तथा वर्ग-'क' की हिस्ट्रीशीट की 02 वर्ष के उपरान्त पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-231 के अनुसार समीक्षा भी नहीं की जा रही है।

.....2

ज्ञातव्य है कि उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन के पैरा-228 में अभ्यासिक अपराधियों एवं उसके दुष्प्रेरक शीर्षक के अन्तर्गत दोनों वर्गों की हिस्ट्रीशीट को वर्गीकृत किया गया है। वर्ग "क" की हिस्ट्रीशीट में डकैत, सेंधमार, पशुचोर, रेल के डिब्बों के माल चोर और उसके दुष्प्रेरक वर्णित हैं, परन्तु दोनों वर्गों के लिए शीर्ष पर जो महत्त्वपूर्ण विश्लेषित है, वह अभ्यासिक अपराधी शब्द है। वर्ग "क" की हिस्ट्रीशीट को पुलिस रेगुलेशन के पैरा-231 के अन्तर्गत 02 वर्ष बाद पुनर्विलोकित किये जाने की प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रावधान है, अतः इस सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही को अधिक न्यायसंगत एवं वस्तुपरक बनाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1. 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जायेगी।
2. हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 240 तक का गहन अध्ययन करके उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये।
3. हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनके बारे में यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार हो कि वे आदतन अपराधी हैं या हो सकते हैं। रूटीन में हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।
   i. हिस्ट्रीशीट ऐसे व्यक्तियों की खोली जाये जिनकी गहन निगरानी (Intense Surveillance) की आवश्यकता हो।
   ii. जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक हों अथवा उनका ऐसा होना सम्भावित हो।
   iii. निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों अथवा अन्य असंगत आधारों पर किसी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट न खोली जाये।
   iv. उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाया जाये।
   v. चूँकि हिस्ट्रीशीट जनपद के पुलिस अधीक्षक के आदेश से खोली जाती है, अतः वे पूर्णतया आधारों से संतुष्ट होने पर ही हिस्ट्रीशीट खोलने का अनुमोदन करें।
   vi. थाना प्रभारी द्वारा प्रेषित हिस्ट्रीशीट का सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सघन परीक्षण करने के उपरान्त ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना अनुमोदित किया जाये।
4. उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनार्थ पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि उन्हें कोई आपत्ति हो तो पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर वह अपनी टिप्पणी सहित सम्बन्धित जिला मुख्यालयों को भेजेंगे।
5. पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा यदि कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा एवं यदि अब भी हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. को प्रेषित की जायेगी।
6. यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर पुलिस महानिरीक्षक, सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुत की गयी आख्या पर कोई आपत्ति नहीं है।

.....3

अतः निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के पेशेवर अपराधी, माफिया व ऐसे अपराधी जो संगठित अपराधों, गिरोहों के सरगना हैं या ऐसे गिरोहों के सदस्य हैं, उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जाये । उक्त के सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में समस्त चैन स्नैचर, बैंक लुटेरे, ए0टी0एम0 लुटेरे, शातिर साइबर क्रिमिनल, वाहन चोरी गिरोह के सदस्य, रोड-होल्ड-अप, लूट करने वाले तथा क्रियाशील अपराधियों की हिस्ट्रीशीट 07 दिवस के अन्दर अवश्य खोली जाये । सात दिवस के अन्दर हिस्ट्रीशीट को पुनरीक्षित कर लें तथा अगले निर्देश में आपको क्लाउड पर मैक्रोसाफ्ट शेयर प्वाइंट का लिंक दिया जायेगा, जिस पर प्रदेश में सभी खोली गयी हिस्ट्रीशीट की सूचना अंकित करना आवश्यक होगा ।

जो राजपत्रित अधिकारी इस कार्यवाही को सम्पूर्ण नही करेंगे, उन्हें प्रारम्भिक जांच करके निलंबित करने के सम्बन्ध में स्थापित नियमों के अनुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में उनके वार्षिक गोपनीय मन्तव्य में भी विशेष प्रविष्टि की जायेगी ।

भवदीय,

14/4/23

(डॉ0 आर. के. विश्वकर्मा)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/प्रयागराज/गाजियाबाद।
2. समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।
8. अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक की जी०एस०ओ०।
9. जनसम्पर्क अधिकारी पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।

14/4/23

15/4/23 Prosecution

14/4/23